25 COURT FEE 25 भारत INDIA २५ पैसे 25 PAISE

2 COURT FEE २ भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

5 COURT FEE ५ भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्रं० । ९६ निगरानी

RN/4-21R/513/96

रामनाथ पुत्र श्री पन्ना खाती
निवासीग्राम छोटाखेड़ा परगना श्योपुर
कलां, जिला मुरैना ---- आवेदक

विरुद्ध

सीताराम पुत्र श्री जगन्नाथ ब्राह्मण
निवासी छारबाग मौहल्ला श्योपुर कलां
जिला मुरैना (म०प्र०) --- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री अपर आयुक्त महोदय चम्बल सम्भाग ग्वालियर तारीख २२-१-९६ अन्तर्गत धारा ५० भू-राजस्व संहिता ।

-----

मानानीय महोदय,

श्रीमान् जीनिगरानी आवेदक निम्न कारणो व्दारा प्रस्तुत है:-

१- यहकि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय व्दारा विधि एवं विधान के विपरीत होने से तथा फाइन्डिंग परवर्स होने से निरस्तकिये जाने योग्य है ।

२- यहकि, आवेदक के अभिभाषक को विचाराधीन आदेश दिनांक १८-१-९४ को नोट कराया गया था आदेश दिनांक २०-१२-९३ को पारित नही किया गया था। वाद में पारित किया गयाहै। आदेश में तारीख २०-१२-९३ ही लिखी गई और अक्सर आदेश नियत दिनांक को पारित नही किये जाने पर होता है। इससे आवेदक का कोई दोष नहीहै ।

3- यहकि, विचाराधीन आदेश की जानकारि ...

XXXIX(a)-BR(H)-11 रा० म० / ग्वालियर

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5.13./96 जिला भिण्ड (मुरैना) श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6-7-16 | उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये।<br>यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 64/2992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-1-1996 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 64/2992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-1-1996 के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी 60 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त की है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक से यह जानना चाहा कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी किस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है एंव मूल विवाद विचारण न्यायालय में क्या रहा है, परन्तु आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 64/2992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-1-1996 का परिशीलन करने पर इस आदेश में किसी प्रकार की कमीवेशी दिखाई नहीं देती है।<br>3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।<br><br>सदस्य | 19-6-15 |

[कृ. प. उ.